

प्रधान,

८४०००० रुपये

विशेष राजनीति

३०५० रुपये।

सभा में

विदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

३०५०, लाइनड्रो

नगरीय रोडगार एवं गरीबी

उन्नगमन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पराष्ट्रक बाहुदाय विस्तृतों तथा नगरीय मूलिक विस्तृतों में "आसारा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ से द्वितीय/अंतिम विश्व की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पढ़ संख्या-१७६९/७६/एक/२०१३-१४ दिनांक ३० जुलाई, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहा जा चुका हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पराष्ट्रक बाहुदाय विस्तृतों तथा नगरीय मूलिक विस्तृतों में "आसारा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-३७ से उनपट-उन्नत दो लिकाय मौराया (II) की १९ आवासों की ०१ परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-१३८४/६९-१-१४-२०(आसारा-३७)/२०१४ दिनांक २८ अगस्त, २०१४ द्वारा रु० ७६.९६ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम विश्व के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० ३६.४८ लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु यात्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक वित्त बजट से नियन्त्रित तालिका के स्तम्भ ७ में अंकित धनराशि रु० ३६.४८ लाख (रुपये छहतीस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम विश्व के रूप में श्री राज्यपाल महोदय नियन्त्रित शर्तों/प्रतिवर्त्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०	उपायक/ विकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य दण्ड के लाभार्थीयों की आवासों की संख्या	सामान्य दण्ड के लाभार्थीयों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम विश्व
१	२	३	४	५	६	७
१	उन्नाय/ मौराय (II)	२४	९२.१६	१९	७२.९६	३६.४८
योग				१९	७२.९६	३६.४८

(रुपये छहतीस लाख अड़तालिस हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२ ईसी(सी), दिनांक १६ जनवरी, २०१३ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२ ईसी(सी) दिनांक ०१ सितम्बर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तानुसिक्ति घाड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य पापत कर ली जायेगी तथा सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

८/३१/२११/८/३१/२११

- उक्त विधि का उल्लेख करते हुए यह संवेदन के अधिकारीकरण इसीप्रकार होता है। जिस लाद से उपर्युक्त विधि का उल्लेख करते हुए वह इस विधि का उल्लेख करते हुए अधिकारीय एवं विधिवाचक विवरण, उक्त विधि के उल्लेख की अधिकारीय प्रक्रिया द्वारा होता है।
 - उक्त विधि का उल्लेख करते हुए यह गुणवत्ता के प्रभाव/राज्य स्वीकृति विधि/विधिवर्णीय के अधीन उपर्युक्तानुसार विहित भद्र में व्यवहारी जायेगी। योजनानुसार पारिषद्वारा में बालकोकृत दोषफल, मालीघेव एवं भाषा में किसी प्रकार का भी दोष अनुपमन्य नहीं होगा।
 - उक्त विधि के उल्लेख की जा रही है, उसका व्यवहार विधि के अनुसार किया जाए। सामग्री/उपकरणों का क्षय वित्तीय विधियों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
 - सुडू/हड्डी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत विधि जा रहे हैं इस द्वारा द्वू पूर्व में राज्य सरकार द्वारा नियमित अन्य स्वीकृत संघरणीय स्वाकृत लंबी की वर्दी है तथा न ही वह कार्य नियमों अन्य स्वीकृत योजना के सम्बन्धित है। उक्त स्वीकृत घनराशि आवंटित परिवर्य के अन्तर्गत इन एवं कार्यों की विवरण/पुनरायति न हो इसे सुडू/हड्डी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
 - सुडू/हड्डी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यवहार वित्त समिति द्वारा अनुगमित आसार योजनानुसार आवाहन के नियमित रो सम्बन्धित भालकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यवहार वित्त समिति द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगी।
 - उक्त विधि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य व्यवस्था विकास अभियान व सम्बन्धित दूड़ा द्वारा उपर्योजित सम्बन्धी सभी परिवारों का सकाम स्वतीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विद्वानों वित्त विधायिक योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशयस्त फैलाकर, तत्काल सम्बन्धित दूड़ा/उक्तके माध्यम से नियमित इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आधारित हो जाएगी।
 - उक्त घनराशि का आहरण निदेशक, राज्य व्यवस्था विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख समिति/सचिव अथवा विशेष सचिव, व्यवस्था रोजगार एवं मरीदी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिवर्तनकारीपरामर्श दिया जायेगा।
 - प्रत्येक आहरण को सूचना महालेखाकार (राजकोष), महानेताकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश दो प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊधर संघ्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के मीठर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - स्वीकृत घनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व वी०एल०ए० ने नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत विधि का कोषागार रो आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथाजियन वैद्युत व राज्य के करों की संवेदन की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णी के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
 - इस विधि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में यथा कलेन्डर अवश्य करा दिया जायेगा तथा घनराशि व्यवहार हो जाने के पश्चात उसके सारेका भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपर्योगिता प्रभाव-प्रक्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित घनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 - निदेशक/सचिव, राज्य व्यवस्था विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेदों का निलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

14. परीक्षाओं से सम्बन्धित निर्माण हक्कों ते यांत्रियस्था घटावे, आमृतो कहा दे पुरुषों
 (परिवर्तीय) लिपालित किए जाने हेतु यह दाव दाव दाव होने वालीखल लिमा नहीं।
2. उपरोक्त घटनालि कल दवय चालू लिहाय थय 2015 वर्ष के अद्य वर्षक जे अनुप्रव संवादी व
 निवास देखा शीर्ष। “4216 भारतीय पर घुग्गीगत परं य आमृतो क्षेत्र जे आदी आमृत 100% वा व देखा
 03 आमृत योजना (आमृतीय भवन)-24 हुए निर्माण वाय” के जारी जावा का है।
3. यह आमृत विज्ञा विभाग के कावेचन आप संघर्ष 7/2015/वा 1-925/44/2015-231/2015, लिमा
 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदर्श के तहत किये जा रहे हैं।

अपर्याप्त,
 ३५५,
 (परिवर्तीय शिंह)
 विशेष राष्ट्रियका

मुद्रा-732/2015/214401/69-1-15 राष्ट्रियका।

प्रतिलिपि लिप्तलिपिका को सूचनार्थी एवं आवश्यक कर्तव्याली हेतु विविध-

1. महानेषाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम, 30प्र०,20 सरोजनो नाथद्व जारी, इताहावाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवो तल, संगम एवेन्य, चिंचेल लालूज, इताहावाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, 30नाव।
5. वित्त व्यय नियंत्रणा) अनुभाग-३, 30प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, 30प्र० शासन।
7. मुद्रक कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब भास्टर, सूडा को विभागीय देवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल/करप्प्यूटर सहायक/वजट समन्वयक।

आमा दो,
 (परिवर्तीय शिंह)
 विशेष सुधिय।